उत्पादन निगम की
सामाजिक दायित्वनीति को स्वीकृति

राज्य सरकार ने विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के जीवनस्तर में सुधार के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की सामाजिक दायित्व नीति (कारपोरेट सोशियल रेसपोन्सिबिलिटी पालिसी) को 20मई 2011 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यह नीति निगम के वर्तमान में संचालित विद्युतगृहों, विस्तार परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के लिए लागू की जा रही है। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य परियोजनाओं से प्रभावित लोगों तथा क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यकरने का है। इसके अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल–बिजली, स्वच्छता, संचार, पर्यावरण और परिवहन इत्यादि ऐसे अन्य क्षेत्रों को उन्नत करने के लिए कार्य किये जायेगे।इन कार्यों का निर्धारण सम्बन्धित क्षेत्र के जिला कलेक्टर व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं अन्य अधिकारियों की समिति द्वारा किया जावेगा।

कोयला आधारित नये सुपर क्रिटिकल ताप बिजलीघरों के लिए प्रतिमेगावाट 2.5 लाख रूपये, सबक्रिटिकल तापबिजलीघरों के लिए प्रतिमेगावाट 2 लाख रूपये, गैस आधारित ताप बिजलीघरों के लिए प्रतिमेगावाट 1.5 लाख रूपये, हाईड्रो एवं माइनिंग परियोजनाओं के लिए प्रारम्भिक लागत के 0.4 प्रतिशत की राशि एवं वर्तमान में संचालित बिजलीघरों के लिए उनके वार्षिक परिचालन एवं संधारण व्यय का 0.25 प्रतिशत प्रति वर्ष सामाजिक दायित्वों के कार्यों को करवाने हेतु निगम की ओर से व्यय की जावेगी।

,,,,,,,